न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
363/2019	19-12-2019	09/12/2021

उनवान

01. रूकसीना पुत्री स्व0 श्री मलूक पत्नी श्री साहिब जाति मेव निवासी ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0), हाल आबाद पिपाका तहसील तौंवडू जिला मेवात नूँह (हरियाणा)
02. रूकमीना पुत्री स्व0 श्री मलूक पत्नी श्री अयुब जाति मेव निवासी ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0), हाल आबाद भुतलाका तहसील तौंवडू जिला मेवात नूँह (हरियाणा)

——: प्रार्थीगण

बनाम

01. रूकनुदीन
02. अब्बास पुत्रान स्व0 मलूक
03. सायरा पत्नी स्व0 श्री मलूक जाति मेव निवासीगण ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
04. रानबीर
05. राजेश
06. संजय पुत्रान भोलासिंह
07. विरेन्द्र पुत्र भोलासिंह जाति राजपूत निवासीगण बेगमपुर गुरूग्राम
08. बिस्मिल्ला पत्नी रज्जाक जाति मेव निवासी ग्राम नौगांवा तहसील तिजारा
09. आईसा पत्नी इदरीस जाति मेव निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
10. विरेन्द्रसिंह पुत्र बहादरसिंह कौम राजपूत निवासी कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर
11. किशनलाल पुत्र सोहनलाल कौम स्वामी निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
12. पूरणसिंह पुत्र हरपालसिंह
13. वीरोबाई पुत्री हरपालसिंह
14. मंगलसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति रायसिख साकिनान मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
15. सुखविन्दर कौर पत्नी हीरासिंह कौम रायसिख साकिन झुण्डपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर
16. गुरोबाई
17. शीलाकौर पुत्रीयान हरपालसिंह जाति रायसिख साकिनान मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
18. अंजू पत्नी धर्मवीर कौम महाजन निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा
19. रहीसन पत्नी उस्मान कौम मेव निवासी ग्राम नारखौल तहसील तिजारा जिला अलवर
20. जरनैलसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी झुण्डपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर
21. मेहरदीन पुत्र कमला जाति मेव निवासी मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

22. संजय बंसल पुत्र जिलेसिंह गुर्जर निवासी जी–68 सैक्टर अल्फा–2, ग्रेटर नोएडा जिला जी.बी. नगर यू.पी.
23. अभयसिंह पुत्र जगराम जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर
24. सोमनाथ बिल्डटेक प्रा0लि0 जर्ये रेजुलेशन हस्ताक्षरकर्ता जसवन्तसिंह पुत्र जगराम जाति गुर्जर साकिन मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर
25. मैसर्स ग्रीनसिटी बिल्डटेक प्रा0लि0 10, 11 सैक्टर–18 नोएडा जरिये जितेन्द्र चौधरी पुत्र जिलेसिंह
26. आनन्दी रिसोर्ट प्रा0लि0 ई.बी. 53 डी प्रीतमपुरा जरिये डायरेक्टर रमेशकुमार मिडडा पुत्र भगवानदास
27. संजीवकुमार पुत्र हरेन्द्रसिंह जाति जाट जर्ये डायरेक्टर दीपक बिल्डटेक प्रा0लि0 16बी. 19डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली
28. संजय गोयल पुत्र जयप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
29. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जर्ये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल व डायरेक्टर दीपक गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता
30. गीता पत्नी संजय
31. सीता पत्नी राजीव जाति महाजन निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
32. करतारोबाई पत्नी खजानसिंह
33. बलदेवसिंह पुत्र खजानसिंह
34. शीलाकौर
35. कोडाबाई
36. परमेश्वर कौर
37. रेशम कौर
38. बन्ता कौर
39. सलोशकौर पुत्रीयान खजानसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
40. सुरजीतसिंह
41. कश्मीरसिंह पुत्रान लध्धासिंह
42. करतारसिंह पुत्र पंजासिंह
43. जसवन्तसिंह पुत्र पूरणसिंह
44. जसवन्तकौर
45. गुरनामकौर पुत्रीयान पूरणसिंह
46. बीनाकौर पत्नी पूरणसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
47. गुरदीपसिंह
48. रणजीतसिंह पुत्रान बरियामसिंह
49. माहबसिंह पुत्र बरियामसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
50. अब्दुल रसीद पुत्र अयुब मेव निवासी मिरचूनी तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 ज़ाब्ता दीवानी

:- निर्णय :-

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने बाद इस्तकारारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण बाबत हाल आराजी खसरा नम्बर 135/0.03, 190/0.16, 178/0.10, 186/0.09, 203/0.09, 161/0.16, 177/0.16, 205/0.10, 206/0.03, 207/0.10, 210/0.09, 182/0.04, 183/0.04, 315/0.06, 383/0.10, 406/0.10, 523/0.11, 55/0.04, 59/0.05, 301/0.13, 319/0.05, 483/0.11, 489/0.05, 585/0.16, 599/0.16, 218/0.16, 41/0.21, 42/0.05, 43/0.08, 47/0.10, 182/0.16, 181/0.09, 185/0.08, 189/0.15, 191/0.10, 331/0.08, 332/0.08, 337/0.06, 338/0.04, 345/0.09, 311/0.06, 381/0.13, 211/0.10, 196/0.11, 193/0.10, 199/0.22, 197/0.28 है। बाके ग्राम [illegible] जिला अलवर प्रस्तुत किया साथ बाद के [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जा०दी० पेश किया।

विवादित आराजी में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या 3 के पति मलूक की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जो आराजी मलूक को अपने पिता से विरासत से प्राप्त हुई थी। मलूक के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुताबिक हिस्से का अंकन इन्द्राज था। मलूक अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता रहा है और उसके मरने के बाद मलूक के हिस्से की भूमि मिन प्रार्थीगण जो कि मलूक की पुत्रीयान है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि मलूक के पुत्रान है तथा अप्रार्थी संख्या 3 जो कि मलूक की पत्नी है को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण अपने पिता मलूक से विरासत से मिली भूमि पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करती आ रही है तथा मौके पर प्रार्थीगण का अपने भाग की भूमि पर वास्तविक कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 3 जो कि चालाक किस्म की महिला है और जिसने प्रार्थीगण के हक व हकूकों को जायल करने की गरज से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर मलूक का विरासत इंतकाल संख्या 381 अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने व अपने पुत्रान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज व स्वीकार कराकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन करा दिया। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने मलूक के वारिसान की कोई जाँच पड़ताल नहीं की और ना ही गांव में इश्तहार लगाये और ना ही कोई नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 3 से बमिल्लत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज व स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने बाला बाला मलूक की विरासत से प्राप्त भूमि में से कुछ भूमि अप्रार्थीगण को बेचान कर दी। वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम का अंकन चला आ रहा है, जो खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड, खिलाफ मौका है। जिसे प्रार्थीगण इसी कदर इंतकाल व उसके आधार पर आये अमल व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा किये गये अन्तरण को बातिल वो बेअसर करार दिलाकर मलूक के नाम दर्ज आराजी में से 1/5, 1/5 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है तथा इश्तकारारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को मृतक पिता मलूक से विरासत में मिली भूमि से जबरन बेदखल ना करें, ना ही प्रार्थीगण के कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

त में किसी भी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत करें, ना ही प्रार्थीगण की आराजी में अपने हिस्से के उपभोग उपभोग में मजाहमत उत्पन्न करें, ना ही अप्रार्थीगण, विवादित आराजी में कोई कब्जा पक्का निर्माण करें तथा न ही अप्रार्थीगण अमल की आड़ में विवादित आराजी को किसी दीगर जगह रहन बैय हिबा आदि से मुन्तकिल करें मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थीगण पूरी तरह से पाबन्द रहें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 266/0.10, 268/0.09, 135/0.03, 190/0.16, 178/0.10, 146/0.09, 209/0.09, 147/0.08, 177/0.08, 207/0.10, 210/0.09, 182/0.54, 103/0.43, 376/0.08, 383/0.10, 436/0.10, 523/0.11, 55/0.04, 59/0.05, 301/0.13, 319/0.05, 481/0.11, 483/0.05, 565/0.08, 569/0.06, 218/0.18, 41/0.21, 42/0.05, 43/0.08, 47/0.10, 142/0.18, 181/0.09, 185/0.08, 189/0.15, 191/0.10, 331/0.08, 332/0.08, 337/0.06, 338/0.04, 345/0.09, 371/0.08, 381/0.13, 271/0.10, 198/0.11, 193/0.10, 199/0.22, 197/0.28 है0 वाके ग्राम मिठियावास जिला अलवर पर प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 29 उपस्थित होकर अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता को बार बार उपस्थित होने हेतु अवाज लगवाई गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

अप्रार्थीगण संख्या 29 की लिखित बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व लिखित बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी जरिये बयनामा खरीद की है प्रार्थीगण ने बयनामेजात को चैलेज नहीं किया है सक्षम न्यायालय में बयनामेजात को चैलेज नहीं किया गया है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 29 के नाम खातेदारी का अंकन दर्ज है उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति होना प्रमाणित नहीं होता है। फलस्वरुप प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)